(ख) देश के विभिन्न राज्यों में किन-किन स्थानों पर आवास निर्माण की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है; और

(ग) उन के परिणामस्वरूप मध्य-प्रदेश के किनकिन स्थानों को लाभ मिला है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :

(क) निर्माण और आवास मंत्रालय ने देश के केवल पिछड़े हुए क्षेत्रों में जनता मकानों को बनाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। तथापि, आवास तथा नगर विकास निगम ने देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में कई योजनाओं के लिए भी ऋण स्वीकृत किए है। ऐसे अधिकतर मकानों का कुर्सी क्षेत्रफल 35 वर्गमीटर के अन्दर है तथा सब मिला कर प्रति रिहायशी एक-क लागत 8,000 रुपये के अन्दर है। ऐसी योजनाओं के लिए ऋण सहायता-प्राप्त दर पर लिया जाता है और बहुत मामलों में अन्य श्रेणियों से लाभ का उपयोग करके बिक्री मूल्य में भी आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा, राज्य सरकारें राज्य प्लान के भाग के रूप में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए दोनों नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कार्य कर रही है।

(ख) और (ग). विभिन्न राज्यों में (मध्य प्रदेश सहित) उन स्थानों के नाम, जहां आवास तथा नगर विकास निगम की सहायता से परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, विवरण में दिए गए हैं, जो सभा पटल पर रख दिये गये हैं [ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०-10498/76]। आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अधीन मध्य प्रदेश में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए लगभग 5,800 रिहायशी एककों का निर्माण किया जायेगा। उन स्थानों के बारे में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है जहां राज्य प्लान योजनाओं के अधीन राज्य परियोजनाओं का निष्पादन कर रहे हैं।

इसके अलावा मध्य प्रदेश आवास बोर्ड आदिवासी कल्याण विभाग से, 'डिसाजिट स्कीम' के अधीन पिछड़े हुए क्षेत्रों में जनता मकानों का भी निर्माण कर रहा है। माण्डला, शाहडोल, छिंदवाडा, रायगढ़, बस्तर, होशंगाबाद, बेतूल, झाबुआ तथा बालाघाट जिले इससे लाभान्वित हुए है।

मध्य प्रदेश में गेहूं और चावल का आरक्षित भंडार

1043. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश मे गेहूं और चावल का कितना आरक्षित (बफर) भंडार जमा किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : खाद्यान्नों का आरक्षित भंडार अखिल भारतीय आधार पर बनाया जाता है। तथापि, फरवरी, 1976 के अन्त में भारतीय खाद्य निगम के पास मध्य प्रदेश में केन्द्रीय खाते में लगभग 235 हजार मीट्री टन गेहूं का स्टाक था। इसके अतिरिक्त, फरवरी, 1976 के अन्त में राज्य सरकार के पास लगभग 194 हजार मीट्री टन चावल और 29 हजार मीट्री टन गेहूं का स्टाक था।